

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 12-10-2026

विषय सूची

गैरकानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 1967 में सुधारों की आवश्यकता

निवारक निरोध और विरोध प्रदर्शन का अधिकार

दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव्स संबंधी नियमों को सख्त करना: भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

विश्व की प्रथम नाभिकीय घड़ी

संक्षिप्त समाचार

लोकनायक जयप्रकाश नारायण

कुलसी नदी

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एचपीवी टीके 'सर्वावैक' को पूर्व-अर्हता प्रदान

महाराजा अग्रसेन

ओरंगुटान

पेनिसिलिन-जी के आयात पर भारत की प्रतिपादन जाँच

गैरकानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 1967 में सुधारों की आवश्यकता

संदर्भ

- प्रोफेसर जी. एन. साईबाबा की पुण्यतिथि के अवसर पर एक बार पुनः लंबे समय तक विचाराधीन हिरासत में रखे जाने तथा गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 के अंतर्गत नागरिक स्वतंत्रताओं के संरक्षण से संबंधित चिंताएँ चर्चा में आई हैं।

गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) क्या है?

- UAPA सरकार को आतंकवादी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की जाँच करने और उन पर मुकदमा चलाने तथा किसी संगठन को 'गैरकानूनी संगठन' या 'आतंकवादी संगठन' और किसी व्यक्ति को 'आतंकवादी' घोषित करने की शक्तियाँ प्रदान करता है।
- इस अधिनियम को राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिश पर अधिनियमित किया गया था। इस परिषद की स्थापना वर्ष 1961 में देश को विभाजित करने वाली समस्याओं का समाधान खोजने के उद्देश्य से की गई थी।
 - हालाँकि, अपने मूल स्वरूप में यह अधिनियम मुख्यतः अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित था और इसमें आतंकवाद का स्पष्ट उल्लेख नहीं था।
- प्रमुख प्रावधान
 - **धारा 38 और 39:** इन धाराओं के अंतर्गत आतंकवादी संगठनों से विशिष्ट प्रकार का जुड़ाव तथा उन्हें सहायता प्रदान करने से संबंधित कृत्यों को, संबंधित वैधानिक शर्तों के अधीन, अपराध घोषित किया गया है।
 - **धारा 35:** यह धारा केंद्र सरकार को अधिनियम के प्रावधानों के अधीन किसी संगठन या व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार प्रदान करती है।
 - **धारा 43D(5):** यदि न्यायालय पुलिस रिपोर्ट या केस डायरी की जाँच करने के बाद यह मानता है कि आरोपी के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सत्य प्रतीत होते हैं, तो उसे जमानत देने से मना करना होता है।

अधिनियम में संशोधन

- **वर्ष 2004:** इस अधिनियम में प्रथम बार संशोधन किया गया तथा इसके शीर्षक में 'और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए' शब्द जोड़े गए।
- **वर्ष 2008:** 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद किए गए संशोधनों के माध्यम से आतंकवाद की परिभाषा का विस्तार किया गया तथा लंबी अवधि तक हिरासत और जमानत प्राप्त करने के अधिक कठोर प्रावधान लागू किए गए।

- **वर्ष 2012:** UAPA में संशोधन करके देश की 'आर्थिक सुरक्षा' को भी आतंकवाद के दायरे में शामिल किया गया।
 - इसके अंतर्गत भारतीय जाली मुद्रा का उत्पादन, तस्करी और वितरण आतंकवादी कृत्य के रूप में शामिल किया गया।
- **वर्ष 2019:** इस संशोधन के माध्यम से सरकार को किसी व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया। इससे पहले केवल संगठनों को आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान था।
 - इस संशोधन की आलोचना इस आधार पर की गई कि यह आपराधिक न्याय प्रणाली के उस मूलभूत सिद्धांत को प्रभावित कर सकता है, जिसके अनुसार प्रत्येक आरोपी को दोष सिद्ध होने तक निर्दोष माना जाता है।

UAPA अधिनियम से संबंधित चिंताएँ

- **जमानत संबंधी कठोर प्रावधान:** UAPA के अंतर्गत यदि न्यायाधीश पुलिस रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद यह मानता है कि आरोपों के प्रथम दृष्टया सत्य होने के उचित आधार विद्यमान हैं, तो वह जमानत देने से प्रतिबंधित होता है।
 - यह प्रावधान जमानत के चरण में ही आपराधिक मुकदमे से संबंधित कुछ पहलुओं को शामिल कर देता है, जिससे निर्दोषता की उपधारणा के सिद्धांत के समक्ष चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।
- **विस्तारित हिरासत:** UAPA औपचारिक आरोपपत्र दाखिल करने से पहले भी लंबे समय तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है तथा विचाराधीन कैद की अवधि को बढ़ा सकता है।
 - यह संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के साथ टकराव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है।
- **अस्पष्ट परिभाषाएँ:** UAPA के अंतर्गत 'गैरकानूनी गतिविधि' और 'आतंकवादी कृत्य' की परिभाषाएँ व्यापक तथा अस्पष्ट मानी जाती हैं। इससे कानून के दुरुपयोग की आशंका उत्पन्न होती है।
- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता:** कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और विद्यार्थियों के विरुद्ध UAPA के प्रयोग ने असहमति की आवाजों को दबाने की आशंकाएँ उत्पन्न की हैं।
 - इसे संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के संभावित उल्लंघन के रूप में देखा जा सकता है।
- **व्यापक विवेकाधीन शक्तियाँ:** यह अधिनियम सरकार को व्यापक विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, यह विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है, जहाँ गोपनीय गवाहों के उपयोग तथा बंद कमरे में सुनवाई जैसी व्यवस्थाएँ अपनाई जा सकती हैं।

प्रमुख न्यायिक हस्तक्षेप

- **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण बनाम ज़हूर अहमद शाह वटाली (2019):** सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि UAPA की धारा 43D(5) के अंतर्गत जमानत पर विचार करते समय न्यायालयों को यह जाँचना चाहिए कि आरोप प्रथम दृष्टया सत्य प्रतीत होते हैं या नहीं। इस चरण में विस्तृत सुनवाई अथवा मुकदमे की तरह साक्ष्यों का पूर्ण परीक्षण करना आवश्यक नहीं है।
- **भारत संघ बनाम के. ए. नजीब (2021):** सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि लंबे समय तक कारावास में रखा जाना तथा मुकदमे की सुनवाई में अनुचित विलंब होना, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जमानत देने का आधार बन सकता है, भले ही UAPA की धारा 43D(5) में कठोर जमानत संबंधी शर्तें निर्धारित की गई हों।
- **थवाहा फसल बनाम भारत संघ (2021):** सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी आतंकवादी संगठन से मात्र जुड़ाव होना, UAPA की धारा 38 और 39 के अंतर्गत दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है। संबंधित प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित आशय का स्थापित होना भी आवश्यक है।

आगे की राह

- **कानूनी सुधार:** UAPA में संशोधन करके अपराधों की परिभाषाओं को अधिक स्पष्ट बनाया जाना चाहिए तथा जमानत संबंधी कठोर प्रतिबंधों को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए।
- **न्यायिक निगरानी:** कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए समय-समय पर न्यायिक समीक्षा की प्रभावी व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता है।
- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण:** असहमति व्यक्त करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश बनाए जाने चाहिए।

निष्कर्ष

- UAPA राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसके कठोर प्रावधान नागरिक स्वतंत्रताओं और विधिसम्मत प्रक्रिया को लेकर गंभीर चिंताएँ उत्पन्न करते हैं।
- अतः राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक है। इसके लिए विधायी सुधारों, प्रभावी न्यायिक निगरानी और संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करते हुए लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं और विधि के शासन को भी सुरक्षित रखा जा सके।

स्रोत: TH

निवारक निरोध और विरोध प्रदर्शन का अधिकार

संदर्भ

- राष्ट्रीय राजधानी में बड़े पैमाने पर की गई हिरासतों के बीच, विधि विशेषज्ञों ने इस आधार पर प्रश्न उठाए कि दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले से बाहर के क्षेत्रों में प्रदर्शनकारियों को किस कानूनी आधार पर हिरासत में लिया।

परिचय

- दिल्ली पुलिस का कहना है कि राजधानी में हिरासत की कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञाओं के उल्लंघन के बाद की गई। ये निषेधाज्ञाएँ अनधिकृत सार्वजनिक सभाओं, प्रदर्शनों और विरोध-प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाती हैं।
- BNSS की धारा 163 किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ऐसी परिस्थितियों में निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार देती है, जहाँ तत्काल रोकथाम या त्वरित उपचार आवश्यक हो।
- हालाँकि, उन क्षेत्रों से प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने के लिए प्रयुक्त कानूनी अधिकार के संबंध में स्पष्टता नहीं थी, जहाँ ऐसी निषेधाज्ञाएँ लागू नहीं थीं।

विरोध प्रदर्शन का अधिकार और प्रतिबंध

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) नागरिकों को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। वहीं, अनुच्छेद 19(1)(b) शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार सुनिश्चित करता है।
- ये प्रावधान नागरिकों को एकत्र होकर अपनी असहमति व्यक्त करने का अधिकार प्रदान करते हैं। हालाँकि, इनमें से कोई भी अधिकार पूर्णतः निरपेक्ष नहीं है।
- अनुच्छेद 19(2) सार्वजनिक व्यवस्था सहित निर्दिष्ट आधारों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है, जबकि अनुच्छेद 19(3) सार्वजनिक व्यवस्था के हित में शांतिपूर्ण सभा के अधिकार पर 'युक्तियुक्त प्रतिबंध' लगाने का प्रावधान करता है।
- **विरोध प्रदर्शनों के संबंध में पुलिस के दिशा-निर्देश:** दिल्ली पुलिस के दिशा-निर्देशों में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन आयोजित करने की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
- प्रस्तावित कार्यक्रम से कम-से-कम 10 दिन पहले सामान्यतः पुलिस उपायुक्त (DCP) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है।
 - पुलिस उपायुक्त को यह विचार करना होता है कि प्रस्तावित प्रदर्शन से यातायात बाधित होने, मानव सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने अथवा सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका है या नहीं।

- जंतर-मंतर पर एकत्र होने वाले लोगों की संख्या 1,000 से अधिक नहीं हो सकती। इस सीमा से अधिक लोगों की भागीदारी वाले प्रदर्शन के लिए रामलीला मैदान स्थल हो सकता है।
- **अनुमति से मनाही:** यदि किसी प्रदर्शन के आयोजक को लगता है कि अनुमति देने से मना करने का निर्णय मनमाना है, तो वह संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर सकता है।
- यदि अनुमति से मना किए जाने के बावजूद प्रदर्शन जारी रहता है अथवा निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया जाता है, तो उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। यह धारा लोक सेवक द्वारा विधिपूर्वक जारी आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने से संबंधित है।

निवारक निरोध क्या है?

- निवारक निरोध का अर्थ किसी व्यक्ति को संभावित अपराध करने से रोकने के उद्देश्य से हिरासत में लेना है। इसका उद्देश्य किसी अपराध के लिए दंड देना नहीं, बल्कि संभावित हानिकारक गतिविधियों को रोकना है।
- **निवारक निरोध के आधार:** राज्य की सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना।
 - आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखना और रक्षा संबंधी हितों की सुरक्षा करना।
 - विदेश संबंधों अथवा भारत की सुरक्षा से संबंधित हितों की रक्षा करना।

- **दंडात्मक निरोध:** दंडात्मक निरोध का उद्देश्य किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने के बाद, न्यायालय में मुकदमे और दोषसिद्धि के उपरांत उसे दंडित करना है।

संविधान द्वारा प्रदत्त सुरक्षा उपाय

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय प्रदान करता है।
- **मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार:** गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। यात्रा में लगने वाला समय इस अवधि में शामिल नहीं होता।
- **विधिक परामर्श प्राप्त करने का अधिकार:** गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के विधि व्यवसायी से परामर्श लेने तथा उसके द्वारा अपना बचाव करवाने का अधिकार प्राप्त है।
- **गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी:** गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी दी

जानी चाहिए, ताकि वह अपनी कानूनी स्थिति को समझ सके और उपलब्ध कानूनी उपायों का उपयोग कर सके।

- **निरोध की अवधि:** संविधान के अनुच्छेद 22(4) के अनुसार, सामान्यतः किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के अंतर्गत तीन महीने से अधिक समय तक तब तक निरुद्ध नहीं रखा जा सकता, जब तक संवैधानिक शर्तें पूरी न हों। तीन महीने से अधिक निरोध जारी रखने के लिए, लागू संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, सलाहकार बोर्ड की राय आवश्यक होती है।

निवारक निरोध के पक्ष में तर्क

- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** भारत को आतंकवाद, उग्रवाद और संगठित अपराध सहित विभिन्न आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- निवारक निरोध इन खतरों से निपटने का एक साधन माना जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ उन व्यक्तियों को हिरासत में ले सकती हैं, जिनकी गतिविधियों से राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न होने की आशंका हो और जिनके संबंध में कानूनी शर्तें पूरी होती हों।
- **सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना:** सामाजिक अशांति, सांप्रदायिक तनाव अथवा सार्वजनिक अव्यवस्था की परिस्थितियों में हिंसा के संभावित विस्तार को रोकने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए निवारक निरोध का उपयोग किया जा सकता है।
- **निवारक प्रभाव:** निवारक निरोध संबंधी कानूनों का अस्तित्व तथा उनका कभी-कभी किया जाने वाला उपयोग उन व्यक्तियों या समूहों को गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने से हतोत्साहित कर सकता है, जो ऐसी गतिविधियों पर विचार कर रहे हों।
- **संवैधानिक मान्यता:** संविधान का अनुच्छेद 22(3) से 22(7) तक निवारक निरोध को मान्यता देता है तथा इसके विनियमन के लिए एक संवैधानिक ढाँचा निर्धारित करता है। यह इस संवैधानिक समझ को दर्शाता है कि कुछ परिस्थितियों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक हो सकता है।
- **सामूहिक कल्याण की सुरक्षा :** राज्य का दायित्व है कि वह व्यापक जनसमुदाय के जीवन, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा करे। जहाँ विश्वसनीय खतरे इन हितों के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न करते हैं, वहाँ कानूनी शर्तों के अधीन निवारक उपायों को उचित ठहराया जा सकता है।

निवारक निरोध के विरुद्ध तर्क

- **औपनिवेशिक कानून :** निवारक निरोध की व्यवस्था भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान लागू की गई थी और इसका उपयोग बड़े पैमाने पर स्वतंत्रता सेनानियों को निशाना बनाने के लिए किया गया था।

- **कानून का दुरुपयोग:** यदि जनहित में आवश्यक माना जाए, तो राज्य निरोध के आधारों का प्रकटीकरण करने से मना कर सकता है। राज्य को प्राप्त यह शक्ति अधिकारियों द्वारा मनमानी कार्रवाई की आशंका उत्पन्न करती है।
- **संदेह के आधार पर निरोध:** निवारक निरोध की व्यवस्था के अंतर्गत संभावित अपराधों की आशंका के आधार पर किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने की कार्यकारी शक्तियों को लेकर चिंता व्यक्त की जाती है। हालाँकि, केवल संदेह के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तार करने की कोई असीमित शक्ति पुलिस को प्राप्त नहीं है। गिरफ्तारी के लिए लागू कानून की शर्तों का पालन आवश्यक है।
- **सामान्य आपराधिक न्याय प्रक्रिया को दरकिनार करना:** निवारक निरोध का उपयोग सामान्य आपराधिक न्याय प्रक्रिया के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। इससे निष्पक्ष सुनवाई, साक्ष्यों तक पहुँच और स्वयं का बचाव करने के अवसर जैसे स्थापित कानूनी सुरक्षा उपाय प्रभावित होने की आशंका रहती है।
- **मौलिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिकूल प्रभाव:** निरोध का भय नागरिकों को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा तथा संगठन बनाने के अधिकारों का प्रयोग करने से हतोत्साहित कर सकता है। यह आशंका विशेष रूप से तब बढ़ जाती है, जब अधिकारी असहमति को सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरे के रूप में देखते हैं।

निवारक निरोध पर सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

- **रेखा बनाम तमिलनाडु राज्य (2011):** सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि जहाँ सामान्य आपराधिक कानून की आवश्यकताएँ पूरी होती हों, वहाँ निवारक निरोध का उपयोग सामान्य आपराधिक कानून के विकल्प के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
- **न्यायालय का व्यापक दृष्टिकोण:** यदि निरोध आदेश जारी करने में अनिवार्य संवैधानिक सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया गया हो अथवा अन्य स्थापित कानूनी त्रुटियाँ विद्यमान हों, तो ऐसे आदेश को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

आगे की राह

- निवारक निरोध सामूहिक सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौती प्रस्तुत करता है।
- यद्यपि असाधारण परिस्थितियों में यह आवश्यक हो सकता है, लेकिन इसका उपयोग सख्ती से सीमित, परिस्थितियों के अनुपात में उचित तथा कठोर न्यायिक समीक्षा के अधीन होना चाहिए।
- मनमाने ढंग से स्वतंत्रता से वंचित किए जाने की घटनाओं को रोकने के लिए अनुच्छेद 22 के अंतर्गत निर्धारित सुरक्षा उपायों

का कठोरता से पालन, प्रभावी कानूनी उपचारों तक पहुँच तथा जहाँ सामान्य आपराधिक कानून पर्याप्त हो, वहाँ उसी को प्राथमिकता देना आवश्यक है।

- इस प्रकार, राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संवैधानिक अधिकारों तथा विधि के शासन की रक्षा करना भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

स्रोत: TH

दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता

संदर्भ

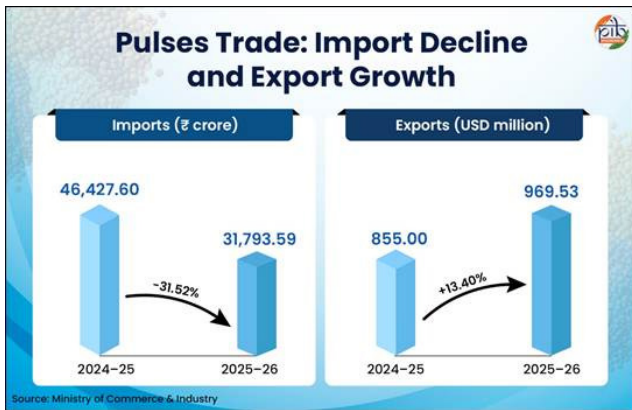
- भारत विश्व में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, फिर भी यह दलहन का एक प्रमुख आयातक बना हुआ है।

परिचय

- दलहन भारत के कृषि निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं तथा भारतीय आहार का एक अभिन्न हिस्सा हैं। ये देश की पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- दलहन के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने 11 अक्टूबर, 2025 को 'दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन' का शुभारंभ किया। इसके लिए वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक की अवधि में ₹11,440 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है।

दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन: प्रमुख विशेषताएँ

- **उत्पादन लक्ष्य:** वर्ष 2030-31 तक दलहन उत्पादन को लगभग 350 लाख टन तथा उत्पादकता को बढ़ाकर 1,130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुँचाने का लक्ष्य है।
- **प्रमुख फसलों पर ध्यान:** अरहर (तूर), उड़द और मसूर के उत्पादन को बढ़ावा देना।
- **जलवायु-अनुकूल बीज:** जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशील बीजों तथा बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों को प्रोत्साहित करना।
- **बीज वितरण:** छह वर्षों में 87.5 लाख निःशुल्क बीज किट तथा 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित करना।
- **खेती के क्षेत्रफल में विस्तार:** दलहन की खेती के क्षेत्रफल में 35 लाख हेक्टेयर की वृद्धि करके वर्ष 2030-31 तक इसे कुल 310 लाख हेक्टेयर तक पहुँचाना।
- **क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण:** उत्पादन को बढ़ाने के लिए 489 जिलों को शामिल करते हुए क्लस्टर-आधारित रणनीति अपनाना।
- **प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना:** 1,000 प्रसंस्करण इकाइयों (दाल मिलों) की स्थापना करना।



प्रौद्योगिकी एवं शासन व्यवस्था

- **अनुसरणीयता :** SATHI पोर्टल बीजों के उत्पादन से लेकर बिक्री तक उनकी निगरानी करता है, जिससे नकली बीजों की आपूर्ति पर अंकुश लगाने में सहायता मिलती है।
- **कृषि स्तर पर आँकड़े :** कृषि मैपर प्रदर्शन स्थलों की भौगोलिक टैगिंग करता है, जबकि एग्रीस्टैक और डिजिटल फसल सर्वेक्षण किसान पहचान-पत्रों, मृदा स्वास्थ्य तथा सत्यापित कृषि भूखंडों को जोड़कर सटीक उत्पादन पूर्वानुमान में सहायता करते हैं।
- **बाजार से जुड़ाव :** ई-समृद्धि और विस्तार के माध्यम से प्रत्यक्ष भुगतान तथा कीमतों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने में सहायता मिलती है।
- **निगरानी :** राष्ट्रीय से जिला स्तर तक मिशन के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए तीन-स्तरीय संचालन समिति की व्यवस्था की गई है।

महत्व

- **पोषण सुरक्षा:** दलहन मुख्यतः शाकाहारी जनसंख्या के लिए सुलभ प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत हैं। घरेलू उत्पादन में वृद्धि से प्रोटीन की कमी को दूर करने में सहायता मिलेगी तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और पीएम पोषण (PM POSHAN) जैसी योजनाओं को समर्थन मिलेगा।
- **किसानों की आय:** न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सुनिश्चित खरीद से किसानों को कीमतों में उतार-चढ़ाव के जोखिम से राहत मिल सकती है। इससे किसानों को गेहूँ और चावल की ओर प्रवृत्त होने करने के बजाय दलहन की खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
 - इसके अतिरिक्त, दलहनी फसलें मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं, जिससे उर्वरकों की आवश्यकता और सरकारी सब्सिडी का भार कम हो सकता है।
- **बाह्य क्षेत्र में स्थिरता :** दलहन के आयात में कमी से विदेशी मुद्रा की बचत होगी तथा भारत को आपूर्तिकर्ता देशों में कीमतों के उतार-चढ़ाव और निर्यात प्रतिबंधों से उत्पन्न जोखिमों से सुरक्षा मिलेगी।

- **मुद्रास्फीति पर नियंत्रण :** घरेलू आपूर्ति में वृद्धि से दलहन की कीमतों में बार-बार होने वाली तीव्र वृद्धि को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। इससे खाद्य मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने में भी सहायता मिल सकती है।
- **सतत विकास:** धान की कटाई के बाद खाली रहने वाली भूमि में दलहन की खेती तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने से भूमि का बेहतर उपयोग, मृदा स्वास्थ्य में सुधार और जलवायु परिवर्तन के प्रति कृषि की सहनशीलता बढ़ सकती है।

चुनौतियाँ

- **कम उत्पादकता:** दलहन की खेती मुख्यतः वर्षा-आधारित और कम उपजाऊ भूमि पर की जाती है। इस कारण भारत में इनकी उत्पादकता कनाडा और म्यांमार जैसे देशों की तुलना में कम रहती है। इसके अतिरिक्त, मानसून में परिवर्तनशीलता के कारण उत्पादन में उतार-चढ़ाव होता है।
- **खरीद व्यवस्था में कमियाँ :** अब तक पंजीकृत किसानों में से लगभग 60% को ही खरीद व्यवस्था का लाभ मिला है तथा सरकारी खरीद कुछ ही राज्यों में केंद्रित है।
 - ऐतिहासिक रूप से MSP आधारित समर्थन का अधिक लाभ गेहूँ और चावल को मिला है। इसके परिणामस्वरूप दलहन के संबंध में किसानों की जागरूकता तथा खरीद से जुड़ी व्यवस्थाएँ अपेक्षाकृत कमजोर बनी हुई हैं।
- **असमान मूल्य संकेत:** मसूर के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सीमित वृद्धि से इसकी खेती करने के प्रति किसानों का उत्साह कम हो सकता है। इससे मिशन के अंतर्गत निर्धारित फसल-विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित होने की आशंका है।
- **आयात एवं व्यापार नीति में अनिश्चितता:** आयात शुल्क और भंडारण सीमा से संबंधित नीतियों में बार-बार बदलाव होने से किसानों तथा व्यापारियों के लिए अनिश्चितता उत्पन्न होती है। इससे उत्पादन और विपणन संबंधी निर्णय प्रभावित हो सकते हैं।
- **बीज एवं विस्तार सेवाओं की कमजोरियाँ :** बीज प्रतिस्थापन की धीमी दर, अधिक उपज देने वाली किस्मों का सीमित प्रसार तथा कमजोर कृषि विस्तार सेवाएँ उत्पादकता में वृद्धि को बाधित करती हैं।
- **कटाई के पश्चात होने वाली हानियाँ :** पर्याप्त भंडारण सुविधाओं की कमी और प्रसंस्करण इकाइयों के बिखरे हुए स्वरूप के कारण किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने में कठिनाई होती है।
 - प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के अंतर्गत स्वीकृत 23 दलहन प्रसंस्करण इकाइयों में से केवल 18 का निर्माण पूरा हुआ है।

आगे की राह

- **प्रौद्योगिकी एवं बीज अनुसंधान :** कम अवधि में पकने वाली, कीट-प्रतिरोधी तथा अधिक तापमान सहन करने वाली दलहनी

किस्मों का विकास और प्रसार किया जाना चाहिए। इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के अनुसंधान तथा बीज केंद्रों को सुदृढ़ करना आवश्यक है।

- **स्थिर नीति व्यवस्था :** आयात शुल्क को बुवाई के मौसम के अनुरूप निर्धारित किया जाना चाहिए तथा नीतियों में अचानक बदलाव से बचना चाहिए, ताकि किसानों को कीमतों के संबंध में स्थिर एवं पूर्वानुमेय संकेत मिल सकें।
- **खरीद व्यवस्था में सुधार :** सरकारी खरीद का दायरा अधिक राज्यों और किसानों तक विस्तारित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, किसानों को मूल्य संबंधी जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने के लिए मूल्य-अंतर भुगतान को एक पूरक व्यवस्था के रूप में अपनाने पर विचार किया जा सकता है।
- **मूल्य संवर्धन शृंखला :** दाल मिलों की स्थापना में तीव्रता लाई जानी चाहिए। साथ ही, गोदामों, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के माध्यम से उपज के एकीकरण तथा राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) से जुड़ाव में निवेश किया जाना चाहिए।
- **फसल प्रणाली में एकीकरण :** दलहन को अंतरवर्ती फसल के रूप में तथा धान की कटाई के बाद खाली रहने वाली भूमि पर उगाने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए जल और उर्वरक की बचत से संबंधित प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
- **माँग पक्ष का सुदृढ़ीकरण:** सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) तथा पोषण संबंधी कार्यक्रमों में दलहन की उपलब्धता और समावेशन को सुदृढ़ किया जाना चाहिए, ताकि इनके लिए स्थिर बाजार और नियमित माँग विकसित हो सके।

स्रोत: PIB

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव्स संबंधी नियमों को सख्त करना: भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

संदर्भ

- हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने तथा मुद्रा बाजार को स्थिर करने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न लेन-देन संबंधी नियमों को सख्त किया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये का मूल्य लगभग 97 रुपये प्रति डॉलर तक पहुँच रहा है तथा कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से अधिक हो गई हैं।

प्रमुख आर्थिक संकेतक

- **विदेशी मुद्रा भंडार:** भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 12.95 अरब डॉलर घटकर 734.60 अरब डॉलर रह गया।

- **मुद्रास्फीति का अनुमान:** वित्त वर्ष 2026-27 में खुदरा मुद्रास्फीति 5.2% रहने का अनुमान है।
- **मौद्रिक नीति:** भारतीय रिज़र्व बैंक ने रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि करके इसे 5.50% कर दिया।
- **अनिवासी विदेशी मुद्रा जमा:** विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमा योजना के अंतर्गत बैंकों में अनिवासियों द्वारा जमा की गई विदेशी मुद्रा की राशि 143 अरब डॉलर से अधिक होने के बावजूद रुपये के अवमूल्यन का दबाव समाप्त नहीं हुआ है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए प्रमुख नियामकीय परिवर्तन

- **जोखिम सीमा में कमी:** अंतर्निहित जोखिम के प्रमाण के बिना निर्धारित विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न लेन-देन करने की सीमा को 10 करोड़ डॉलर से घटाकर 50 लाख डॉलर कर दिया गया है।
 - इस प्रकार, सीमा में 95% की कमी की गई है।
 - मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों में रुपये से संबंधित विनिमय-व्यापारित व्युत्पन्न लेन-देन के लिए भी संबंधित सीमा घटाकर 50 लाख डॉलर कर दी गई है।
- **अनुबंधों की पुनर्बुकिंग पर प्रतिबंध:** नए निर्देश प्रभावी होने के बाद, रद्द किए गए रुपये से संबंधित व्युत्पन्न अनुबंधों को अधिकृत व्यापारी बैंकों के माध्यम से दोबारा बुक नहीं किया जा सकेगा।
 - हालाँकि, वर्तमान नियमों के अधीन परिपक्वता के समय अनुबंधों को आगे बढ़ाने की अनुमति बनी रहेगी।
- **दोहरे जोखिम-प्रतिरक्षण की रोकथाम:** बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए ग्राहकों से लिखित घोषणा प्राप्त करनी होगी और उसे सुरक्षित रखना होगा कि एक ही अंतर्निहित जोखिम का किसी अन्य अधिकृत व्यापारी बैंक के माध्यम से जोखिम-प्रतिरक्षण नहीं किया गया है।
- **विदेशी मुद्रा जोखिम आरक्षित निधि:** अधिकृत व्यापारी बैंकों को निर्धारित संरक्षित व्युत्पन्न अनुबंधों की 20 लाख डॉलर से अधिक की काल्पनिक मूल राशि के रुपये में समतुल्य मूल्य का 20% नकद आरक्षित निधि के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखना होगा।
 - यह प्रावधान बैंकों पर लागू आरक्षित निधि की आवश्यकता है, न कि ग्राहकों पर लगाया गया प्रत्यक्ष 20% शुल्क।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ये उपाय क्यों किए?

- **सट्टेबाजी पर अंकुश:-** अत्यधिक व्युत्पन्न लेन-देन की स्थितियों को रोकना, जिनसे रुपये के अवमूल्यन का दबाव बढ़ सकता है।
- **मुद्रा बाजार में अस्थिरता कम करना:-** बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव का लाभ उठाने के लिए अनुबंधों को बार-बार रद्द करने और दोबारा बुक करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना।

- **बाह्य आर्थिक स्थिरता की रक्षा:-** प्रतिकूल पूँजी प्रवाह, मुद्रा जोखिम-प्रतिरक्षण की बढ़ती माँग तथा कच्चे तेल के आयात की लागत से उत्पन्न दबावों का सामना करके बाह्य आर्थिक स्थिरता बनाए रखना।
- **पारदर्शिता को सुदृढ़ करना:-** यह सुनिश्चित करना कि विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न लेन-देन वास्तविक आर्थिक जोखिमों से अधिक निकटता से जुड़े हों।
- **मुद्रास्फीति पर नियंत्रण:-** मुद्रा विनिमय दर में अस्थिरता उत्पन्न करने वाले उतार-चढ़ाव को सीमित करना, जिससे आयातित वस्तुओं, विशेषकर पेट्रोलियम उत्पादों, की रुपये में लागत बढ़ने पर अंकुश लगाया जा सके।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

- **सकारात्मक प्रभाव:** विदेशी मुद्रा बाजार में अनुशासन एवं पारदर्शिता बढ़ेगी।
 - सट्टा गतिविधियों तथा अनावश्यक जोखिम-प्रतिरक्षण की संभावनाएँ कम होंगी।
 - जोखिम प्रबंधन में सुधार होगा और विनिमय दर में अस्थिरता घट सकती है।
 - वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा तथा नियामकीय निगरानी अधिक प्रभावी होगी।
- **संभावित चुनौतियाँ:** बैंकों एवं व्यवसायों के लिए नियामकीय अनुपालन तथा जोखिम-प्रतिरक्षण की लागत बढ़ सकती है।
 - निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य वास्तविक बाजार सहभागियों के लिए लेन-देन में लचीलापन कम हो सकता है।
 - बाजार की तरलता पर दबाव पड़ सकता है तथा व्युत्पन्न वित्तीय साधनों के मूल्य निर्धारण पर प्रभाव पड़ सकता है।
 - रुपये के अवमूल्यन का जोखिम बना रह सकता है, क्योंकि केवल नियामकीय उपाय प्रतिकूल वैश्विक पूँजी प्रवाह अथवा कच्चे तेल की ऊँची कीमतों का प्रतिकार नहीं कर सकते।

आगे की राह

- भारतीय रिज़र्व बैंक को वास्तविक जोखिम-प्रतिरक्षण एवं अत्यधिक सट्टेबाजी के बीच अंतर करते हुए संतुलित और आँकड़ा-आधारित नियामकीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
- बाजार की तरलता, लेन-देन की लागत तथा निर्यातकों एवं आयातकों पर पड़ने वाले प्रभावों की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए।
- निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ समन्वय बढ़ाया जाना चाहिए।

- ऊर्जा आयात के स्रोतों में विविधता लाना, निर्यात को बढ़ावा देना, स्थिर पूँजी प्रवाह आकर्षित करना तथा पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखना भी आवश्यक है।

स्रोत: IE

विश्व की प्रथम नाभिकीय घड़ी

संदर्भ

- वियना और बीजिंग के वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से विश्व की प्रथम दो कार्यशील नाभिकीय घड़ियों का विकास किया है।

नाभिकीय घड़ी क्या है?

- नाभिकीय घड़ियाँ समय मापने वाले अत्यंत सटीक उपकरण हैं, जो परमाणु के नाभिक के अंदर ऊर्जा अवस्थाओं के बीच होने वाले संक्रमणों की आवृत्ति का उपयोग करके समय मापती हैं।
 - ये घड़ियाँ नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन से संचालित नहीं होती हैं। यहाँ 'नाभिकीय' शब्द परमाणु के उस भाग को संदर्भित करता है, जिसका उपयोग समय मापने के मानक के रूप में किया जाता है।
 - इनमें लेजर का उपयोग करके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे उपपरमाण्विक कणों को परमाणु के नाभिक के अंदर ऊर्जा के विभिन्न स्तरों के बीच स्थानांतरित किया जाता है। इस मामले में थोरियम-229 के नाभिक का उपयोग किया गया है।
 - वियना और बीजिंग, दोनों के वैज्ञानिक दलों ने कैल्शियम फ्लोराइड के क्रिस्टलों में समाहित थोरियम-229 का उपयोग किया। यह रेडियोधर्मी तत्व थोरियम का एक विशिष्ट समस्थानिक है।
 - अधिकांश परमाणु नाभिकों को उत्तेजित करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा वाले विकिरण की आवश्यकता होती है, जबकि थोरियम-229 में अपेक्षाकृत कम ऊर्जा वाला नाभिकीय संक्रमण होता है, जिसे लेजर प्रकाश की सहायता से सक्रिय किया जा सकता है।

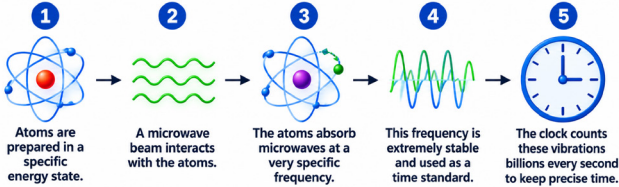
नाभिकीय घड़ी, परमाणु घड़ी से किस प्रकार भिन्न है?

- वर्ष 1949 में प्रथम बार विकसित की गई परमाणु घड़ियाँ अब तक निर्मित समय मापने वाले सबसे सटीक उपकरणों में शामिल हैं।
 - सामान्य घड़ियाँ जहाँ यांत्रिक गति या क्वार्ट्ज क्रिस्टलों के कंपन के आधार पर समय मापती हैं, वहीं परमाणु घड़ियाँ परमाणुओं के व्यवहार पर निर्भर करती हैं।
 - पारंपरिक परमाणु घड़ियाँ सीज़ियम या स्ट्रॉन्शियम जैसे तत्वों का उपयोग करती हैं। इनमें लेजर या सूक्ष्मतरंगों की सहायता से

परमाणु के बाहरी आवरण में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को दो ऊर्जा स्तरों के बीच स्थानांतरित किया जाता है।

- वास्तव में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एक सेकंड की परिभाषा सीज़ियम-133 परमाणु में होने वाले एक विशिष्ट ऊर्जा संक्रमण पर आधारित है।

How Does It Work?



ATOMIC CLOCKS VS NUCLEAR CLOCKS

	Atomic Clocks (Today's Best Timekeepers)	Nuclear Clocks (The Next Generation)
What they use	Measure energy transitions of electrons in an atom (usually caesium, rubidium, strontium, etc.).	Measure energy transitions inside the atomic nucleus (using thorium-229).
Transition Energy	Relatively low energy. Can be controlled using microwaves or visible lasers.	Very low nuclear transition energy in thorium-229, activated using ultraviolet (148 nm) lasers.
Sensitivity to Environment	More affected by external electric and magnetic fields, temperature changes, and other environmental noise.	Far less affected by external disturbances. The nucleus is deeply shielded, making it inherently more stable.
Stability & Accuracy	Extremely accurate. Current best lose about 1 second in 15 billion years.	Potentially even more accurate than the best atomic clocks. Could lose 1 second in trillions of years.
Technology Maturity	Well-developed and used worldwide in labs, satellites, and navigation systems.	Very new technology. First working nuclear clocks just demonstrated in labs (China & Europe, 2024).
Practical Use/ Application	Used in GPS, telecom, financial systems, space missions, and scientific research.	Ultra-precise navigation, gravitational sensing, dark matter searches, and tests of fundamental physics.
Key Advantage	Proven technology with excellent accuracy and reliability.	Next-generation potential with higher stability and groundbreaking possibilities.

संभावित अनुप्रयोग

- उपग्रह आधारित नौवहन:** वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली (जीपीएस) जैसी प्रणालियाँ उपग्रहों से प्राप्त संकेतों के यात्रा-समय को मापकर किसी अभिग्राही की स्थिति निर्धारित करती हैं। समय मापन में अत्यंत छोटी त्रुटियाँ भी स्थिति निर्धारण में बड़ी त्रुटियाँ उत्पन्न कर सकती हैं। इसलिए अधिक सटीक घड़ियाँ नौवहन प्रणालियों को बेहतर बना सकती हैं।
- दूरसंचार:** सटीक समय मापन से चलभाष नेटवर्क, प्रकाशीय तंतु अवसंरचना और संचार प्रणालियों में ऑकड़ों के संचरण का समन्वय किया जा सकता है।
- वित्तीय नेटवर्क:** समय का सटीक समन्वय वित्तीय लेन-देन का कालानुक्रमिक क्रम निर्धारित करने और वित्तीय नेटवर्क के विश्वसनीय संचालन में सहायता करता है।
- मूलभूत भौतिकी में अनुसंधान:** नाभिकीय घड़ियाँ वैज्ञानिकों को अति-हल्के अदृश्य पदार्थ और सामान्य पदार्थ के बीच पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करने तथा यह जाँचने में सहायता कर सकती हैं कि प्रकृति के मूलभूत स्थिरांक समय के साथ बदलते हैं या नहीं।

नाभिकीय घड़ियों के विकास में चुनौतियाँ

- सीमित कार्यक्षमता:** वर्तमान नाभिकीय घड़ियों की सटीकता अभी तक विद्यमान सर्वाधिक सटीक परमाणु और प्रकाशीय घड़ियों से बेहतर नहीं हुई है।
- लेज़र प्रौद्योगिकी:** आवश्यक निर्वात पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न करना और उसकी स्थिरता बनाए रखना तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है।
- पदार्थ संबंधी आवश्यकताएँ:** घड़ियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रकाशीय गुणों वाले तथा पर्याप्त थोरियम सांद्रता से युक्त क्रिस्टलों का विकास आवश्यक है।
- प्रयोगात्मक जटिलताएँ:** शोधकर्ताओं को घड़ियों की स्थिरता, परिणामों की पुनरुत्पादकता तथा व्यावहारिक परिस्थितियों में उनके विश्वसनीय संचालन में सुधार करना होगा।
- तात्कालिक अनुप्रयोगों का अभाव:** नौवहन, संचार और अन्य परिचालन प्रणालियों में इनका उपयोग अभी संभावित है; यह व्यापक रूप से स्थापित नहीं हुआ है।

स्रोत: IT

संक्षिप्त समाचार

लोकनायक जयप्रकाश नारायण

संदर्भ

- प्रधानमंत्री ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उनका स्मरण किया।

परिचय

- जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर, 1902 को हुआ था तथा उनका निधन 8 अक्टूबर, 1979 को हुआ।
- वे भारतीय राजनीतिक नेता, समाजवादी विचारक और स्वतंत्रता सेनानी थे।
- उन्हें लोकप्रिय रूप से 'लोकनायक' कहा जाता था। इसका कारण न केवल सामाजिक एवं आर्थिक समानता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता थी, बल्कि राजनीतिक सत्ता स्वीकार करने से उनका मना भी था।

प्रारंभिक जीवन एवं स्वतंत्रता संग्राम

- कांग्रेस समाजवादी दल:** वर्ष 1934 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत समाजवादी विचारधारा वाले संगठन कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख संस्थापकों में से एक बने।
- भारत छोड़ो आंदोलन (1942):** आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बना लिया था। वर्ष 1942 में वे बिहार की हजारीबाग

केंद्रीय जेल से भाग निकले। इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिरोध संगठित करने में सहायता की।

- **समाजवादी राजनीति:** स्वतंत्रता के पश्चात वे समाजवादी राजनीति के प्रमुख स्वर बने, किंतु धीरे-धीरे चुनावी दलीय राजनीति से दूर होकर रचनात्मक सामाजिक कार्यों की ओर अग्रसर हुए।

भारतीय समाज एवं राजनीति में योगदान

- **भूदान एवं सर्वोदय आंदोलन:** वर्ष 1950 के दशक से वे विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़े। इस आंदोलन का उद्देश्य भूमिहीन लोगों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए भूस्वामियों को स्वेच्छा से भूमि दान करने हेतु प्रेरित करना था।
- **संपूर्ण क्रांति आंदोलन (1974):** 5 जून, 1974 को उन्होंने पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक विशाल जनसभा में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया।
 - उन्होंने जनभागीदारी बढ़ाने, सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करने पर बल दिया।
 - उनके आंदोलन में बिहार सरकार से त्यागपत्र देने की माँग भी की गई।
- **सहभागितापूर्ण लोकतंत्र:** उन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण, ग्राम स्तर की संस्थाओं को सशक्त बनाने तथा निर्णय-निर्माण में नागरिकों की व्यापक भागीदारी का समर्थन किया।
- **नैतिक राजनीति:** उन्होंने सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा, राजनीतिक नेताओं की जवाबदेही तथा सत्ता के केंद्रीकरण को रोकने की आवश्यकता पर बल दिया।
- **अहिंसक सामाजिक परिवर्तन:** उन्होंने शांतिपूर्ण जन-आंदोलनों का समर्थन किया और सशस्त्र क्रांति के स्थान पर जनभागीदारी के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का प्रयास किया।

पुरस्कार एवं सम्मान

- वर्ष 1965 में उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है और एशिया में असाधारण सेवा के लिए प्रदान किया जाता है।
- वर्ष 1998 में उन्हें मरणोपरान्त भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

स्रोत: PIB

कुलसी नदी

संदर्भ

- असम और मेघालय में कुलसी नदी के किनारे रहने वाले ग्रामीण प्रस्तावित 55 मेगावाट की जलविद्युत-सह-सिंचाई परियोजना

के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी प्रमुख चिंताएँ विस्थापन, मूलनिवासी समुदायों के अधिकारों और पारिस्थितिक क्षति से संबंधित हैं।

परिचय

- कुलसी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है, जो मेघालय और असम से होकर प्रवाहित होती है।
- इसका उद्गम मेघालय की पश्चिमी खासी पहाड़ियों में होता है, जहाँ इसके ऊपरी प्रवाह को खिर नदी के नाम से जाना जाता है।
- मेघालय से होकर प्रवाहित होने के बाद यह असम में प्रवेश करती है और कामरूप जिले से होकर गुजरती है, जहाँ इसे कुलसी नदी कहा जाता है।
- यह असम में नगरबेरा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है।

क्या आप जानते हैं?

- कुलसी नदी संकटग्रस्त गंगा नदी डॉल्फिन (प्लैटानिस्टा गैंगेटिका) का प्राकृतिक आवास है। वर्ष 2009 में इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था।

स्रोत: TH

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एचपीवी टीके 'सर्वावैक' को पूर्व-अर्हता प्रदान

संदर्भ

- सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित चतुर्संयोजी मानव पैपिलोमावायरस (HPV) टीके 'सर्वावैक' को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से पूर्व-अर्हता प्राप्त हुई है।

परिचय

- सर्वावैक भारत में स्वदेशी रूप से विकसित प्रथम लैंगिक-तटस्थ चतुर्संयोजी एचपीवी टीका है। यह एचपीवी के प्रकार 6, 11, 16 और 18 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है।
- भारत में इसे 9 से 26 वर्ष की आयु के लड़कों और लड़कियों के लिए उपयोग की अनुमति प्राप्त है।
- पूर्व-अर्हता मिलने से संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियाँ इस टीके की खरीद कर सकेंगी। साथ ही, एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम संचालित करने वाले देशों को इसकी आपूर्ति का मार्ग भी प्रशस्त होगा।
- यह उपलब्ध भारत के साथ-साथ गर्भाशय-ग्रीवा के कैंसर की रोकथाम के वैश्विक प्रयासों के लिए भी महत्वपूर्ण है।

गर्भाशय-ग्रीवा का कैंसर

- **परिभाषा:** गर्भाशय-ग्रीवा का कैंसर वह कैंसर है, जो गर्भाशय-ग्रीवा की कोशिकाओं में विकसित होता है।

- गर्भाशय-ग्रीवा, गर्भाशय का निचला और संकरा भाग है, जो गर्भाशय को योनि से जोड़ता है।
- **प्रसार:** गर्भाशय-ग्रीवा के कैंसर के लगभग सभी मामले (99%) उच्च जोखिम वाले मानव पैपिलोमावायरस (एचपीवी) के संक्रमण से संबंधित हैं। यह एक अत्यंत सामान्य विषाणु है, जो मुख्यतः यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है।
- एचपीवी के अधिकांश संक्रमण स्वतः समाप्त हो जाते हैं और उनमें कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। हालाँकि, संक्रमण लंबे समय तक बने रहने पर महिलाओं में गर्भाशय-ग्रीवा का कैंसर हो सकता है।
- **प्रचलन:** महिलाओं में गर्भाशय-ग्रीवा का कैंसर विश्व स्तर पर चौथा सबसे सामान्य कैंसर है।
- भारत में महिलाओं में यह स्तन कैंसर के बाद दूसरा सबसे सामान्य कैंसर है।
- **रोकथाम:** प्रभावी प्राथमिक रोकथाम के अंतर्गत एचपीवी टीकाकरण शामिल है।
- द्वितीयक रोकथाम में नियमित जाँच के माध्यम से कैंसर-पूर्व घावों की पहचान और उनका उपचार शामिल है।
- इन उपायों से गर्भाशय-ग्रीवा के कैंसर के अधिकांश मामलों को रोका जा सकता है।
- **वैश्विक भार:** वर्ष 2020 में विश्व स्तर पर गर्भाशय-ग्रीवा के कैंसर के लगभग 6.04 लाख नए मामले सामने आए तथा इसके कारण लगभग 3.42 लाख मौतें हुईं।
- **भारत में टीकाकरण:** भारत में राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम 28 फरवरी, 2026 को प्रारंभ किया गया। इसका लक्ष्य लगभग 1.2 करोड़ 14 वर्षीय लड़कियों का टीकाकरण करना है।
- इस वर्ष अब तक 80 लाख से अधिक निःशुल्क खुराकें दी जा चुकी हैं।
- भारत में स्वदेशी चतुर्संयोजी टीका सर्वाधिक उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, निजी बाजार के माध्यम से गार्डासिल-9 और सर्वारिक्स जैसे अन्य एचपीवी टीके भी उपलब्ध हैं।

स्रोत: TH

महाराजा अग्रसेन

संदर्भ

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा अग्रसेन की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

परिचय

- महाराजा अग्रसेन को प्राचीन भारत के ऐसे राजा के रूप में जाना जाता है, जिनका संबंध वर्तमान हरियाणा में स्थित अग्रोहा से था।

- उनकी जयंती को महाराजा अग्रसेन जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह हिंदू चंद्र पंचांग के अनुसार मनाई जाती है और सामान्यतः सितंबर या अक्टूबर में पड़ती है।
- **वंश परंपरा:** पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, वे सूर्यवंश से संबंधित थे और अग्रोहा राज्य से उनका संबंध था।
- उन्हें परंपरागत रूप से अग्रोहा का संस्थापक माना जाता है। आगे चलकर अग्रोहा अग्रवाल समुदाय से जुड़े एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित हुआ।
- **धार्मिक परंपरा:** उनका संबंध देवी लक्ष्मी की उपासना से माना जाता है। उन्हें नैतिक व्यापार और सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए स्मरण किया जाता है।
- **ऐतिहासिक साक्ष्य:** उनके जीवन, शासनकाल और कालक्रम से संबंधित विवरण मुख्यतः सामुदायिक परंपराओं एवं लोककथाओं पर आधारित हैं। उनके वास्तविक ऐतिहासिक काल तथा जीवन-वृत्त के विवरणों की समकालीन ऐतिहासिक साक्ष्यों से निश्चित पुष्टि नहीं होती है।
- हरियाणा स्थित अग्रोहा धाम महाराजा अग्रसेन और देवी महालक्ष्मी से जुड़ा एक प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र है।

स्रोत: AIR

ओरंगुटान

संदर्भ

- बोर्नियो के वनों में लगी वनाग्नि के बाद इंडोनेशियाई अधिकारियों ने आठ ओरंगुटानों को सफलतापूर्वक सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया।

ओरंगुटान के बारे में

- **विशेषताएँ:** ओरंगुटान वृक्षों पर रहने वाले सबसे बड़े स्तनधारी जीव हैं। ये अपना अधिकांश समय पेड़ों पर बिताते हैं।
- ये मनुष्यों के निकटतम जीवित संबंधियों में शामिल हैं। इनके और मनुष्यों के जीन में लगभग 96.4% समानता बताई जाती है। ये अत्यधिक बुद्धिमान जीव हैं।
- ओरंगुटान की तीन प्रजातियाँ हैं—बोर्नियार्ई, सुमात्रार्ई और तपानुली। इनके रूप-रंग और व्यवहार में कुछ अंतर पाया जाता है।
- **आहार संबंधी आदतें:** ओरंगुटान मुख्यतः फल खाते हैं, जैसे आम, लीची और अंजीर।
- इसके अतिरिक्त, ये कोमल पत्तियाँ, फूल, कीट तथा छोटे स्तनधारियों का भी भोजन करते हैं।
- **आवास एवं वितरण:** ये समुद्र तल से लगभग 1,500 मीटर की ऊँचाई तक पाए जा सकते हैं।

- अधिकांश ओरंगुटान निचले भू-भागों में रहते हैं तथा नदी घाटियों और बाढ़ के मैदानों के वनों को प्राथमिकता देते हैं।
- ये विशाल कपि प्राकृतिक अवस्था में केवल बोर्नियो और सुमात्रा द्वीपों पर पाए जाते हैं।
- अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की स्थिति: ओरंगुटान की तीनों प्रजातियाँ अति संकटग्रस्त श्रेणी में हैं।



स्रोत: THE PRINT

पेनिसिलिन-जी के आयात पर भारत की प्रतिपाटन जाँच

संदर्भ

- घरेलू निर्माता लाइफ़ायस फार्मा द्वारा यह आरोप लगाए जाने के बाद कि पेनिसिलिन-जी और उसके लवणों का आयात घरेलू उद्योग के विकास में गंभीर बाधा उत्पन्न कर रहा है, भारत ने चीन से इनके आयात के संबंध में प्रतिपाटन जाँच शुरू की है।

पेनिसिलिन-जी के बारे में

- पेनिसिलिन-जी एक बीटा-लैक्टम प्रतिजैविक है, जिसका उपयोग जीवाणु संक्रमणों के उपचार में किया जाता है।
- यह औषधियों के निर्माण में एक प्रमुख प्रारंभिक कच्चे पदार्थ तथा सक्रिय औषधीय घटक के रूप में उपयोग किया जाता है।
- इसका उपयोग निमोनिया, मस्तिष्कावरण शोथ, डिप्थीरिया तथा दाँतों से संबंधित कुछ संक्रमणों के उपचार में किया जाता है।

प्रतिपाटन शुल्क क्या है?

- प्रतिपाटन शुल्क आयात पर लगाया जाने वाला एक अतिरिक्त सीमा शुल्क है। इसे तब लगाया जाता है, जब किसी उत्पाद का निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया जाता है और इस कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुँचती है या ऐसी क्षति की आशंका होती है।
- इस शुल्क का उद्देश्य अनुचित मूल्य प्रतिस्पर्धा का समाधान करना है, न कि आयात को पूरी तरह रोकना।
- भारत में व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत, प्रतिपाटन की जाँच करता है और शुल्क लगाने की सिफारिश करता है।
- इसके बाद वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाए या नहीं।

स्रोत: TH

